भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2085 का उत्तर

रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था

2085. श्री अरुण गोविल:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री भोजराज नाग:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने, एआई-आधारित निगरानी प्रणाली संस्थापित करने या अन्य नवीन तकनीक का उपयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरपीएफ, जीआरपी और राज्य पुलिस के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कानूनी परिणामों के बारे में यात्रियों और जनता को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में विश्रामपुरी होते हुए धमतरी को जगदलपुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का पुनः सर्वेक्षण करने के बाद उसे धमतरी-कांकेर-जगदलपुर तक विस्तारित करने का विचार है ताकि कांकेर क्षेत्र के अधिकतम लोग रेलवे लाइन से लाभान्वित हो सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। अब तक, 1095 स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराई जा चुकी है।

sk

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए रेलों पर अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था आदि बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से जिम्मेदार हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर संरक्षा और सुरक्षा मुहैया कराने तथा इनसे जुड़े मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। साथ ही, रेल सुरक्षा बल, राजकीय सुरक्षा बल और भारतीय रेल के बीच बेहतर समन्वय के लिए रेल मंत्रालय के साथ राजकीय सुरक्षा बल प्रमुख के वर्ष में दो बार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों के प्रभारी मुख्य सुरक्षा आयुक्त (पीसीएससी) और विभिन्न रेलवे मंडलों के प्रभारी वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (सीनियर डीएससी) राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला स्तर और राज्य स्तर पर आपसी चिंताओं के मुद्दों पर सतत समन्वय और संवाद बनाए रखते हैं।

जनता की जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने, स्टेशनों पर रेल डिस्प्ले नेटवर्क, समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां रेल-संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के परिणाम और कानूनी कार्रवाई के संबंध में भी बताया जाता है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल

परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व, आदि सम्पर्कता के आधार पर स्वीगकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

अभनपुर-राजिम शाखा लाइन (67.20 कि.मी.) सहित रायपुर (केन्द्री) से धमतरी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है। केन्द्री से अभनपुर तक 6 कि.मी. को कमीशन कर दिया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बांसकोट से अमरावती के रास्ते धमतरी-कोंडागांव (184 कि.मी.) के बीच नई रेल लाइन के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है।

दल्लीराझरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना (235 कि.मी.) को दो भागों अर्थात् दल्लीराझरा-रावघाट (95 कि.मी.) और रावघाट-जगदलपुर (140 कि.मी.) में शुरू किया गया है। दल्लीराझरा-रावघाट (95 कि.मी.) में, 77 कि.मी. को कमीशन कर दिया गया है। यह लाइन छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर कंकेर जिले से होकर गुजरती है।

दल्लीराझरा-रावघाट (95 कि.मी.) की प्रारंभिक लागत 632 करोड़ रु. थी और वर्तमान में अनुमानित लागत 1628 करोड़ रु. है। रावघाट-जगदलपुर (140 कि.मी.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और अनुमानित लागत लगभग 3282 करोड़ रु. है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित समस्त रेल परियोजनाओं का जोन-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वैबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

sk

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 2,731 कि.मी. कुल लंबाई वाली 37,018 करोड़ रुपये लागत की 25 परियोजनाएं (08 नई लाइनें और 17 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 882 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 14,919 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी.)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2024 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	8	1358	184	6154
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	17	1373	698	8765
कुल	25	2731	882	14919

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-2014	311 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-2025	6922 करोड़ रु. (22 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई रेल पटरियों की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई

sk

2009-14	32 कि.मी.	6.4 कि.मी प्रति वर्ष
2014-24	999 कि.मी.	99.9 कि.मी. प्रति वर्ष (15 गुना से ज्यादा)

किसी भी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में साझेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा साझा लागत के भाग को जमा कराना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति आदि के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना, (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता, (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (iv) क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी क्लीयरेंस और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

******

sk